रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032024-252674 CG-DL-E-06032024-252674

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1025] No. 1025]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का.आ.1076अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री की नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण केंद्रीय नो योर क्लाइंट अभिलेख रजिस्ट्री ऐप्लीकेशन व भंडार (सेंट्रल नो योर क्लाइंट रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री ऐप्लीकेशन एंड रिपॉजिटरी) और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री ऐप्लीकेशन व भंडार (सिक्युरिटी इंटरेस्ट रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री ऐप्लीकेशन एंड रिपॉजिटरी) से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों एवं उनसे सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

- (क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री का कोई अभिहित कर्मचारी;
- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है;और

1561 GI/2024 (1)

- (ग) मामला दर मामला के आधार पर, भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल-भाग(2)]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

- **S.O. 1076(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Central Know Your Client Records Registry Application and Repository, and Security Interest Records Registry Application and Repository, being Critical Information Infrastructure of the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India, and the computer resources of their associated dependencies, to be protected systems for the purposes of the said Act and authorises the following persons to access the protected systems, namely:—
 - (a) any designated employee of the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India authorised in writing by the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India to access the protected system;
 - (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India for need-based access; and
 - (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India on case to case basis.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL-Part(2)]

SANDIP CHATTERJEE, Scientist 'G'